यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (प्रथम) (क.नि.) राज्य कर, विकासनगर देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (प्रथम) (क.नि.) राज्य कर, विकासनगर के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस.दरियाल, एवं श्री ब्रज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.10.2018 से 31.10.2018 तक श्री पी.के.गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दिलीप श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.10.2017 से 29.10.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	5548.73
2016-17	6466.57
2017-18	2063.31

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)		व्यय राशि (₹)		अवशेष/समर्पण (₹)	
	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2015-16						
2016-17			N.A			
2017-18						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (प्रथम) (क.नि.) राज्य कर, विकासनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर: 1- कर का अनारोपण ₹68.48 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) - प्रथम राज्य कर, विकासनगर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री यूनी मेडिकों लेब्स लि0 टिन 05006459934 दवाइयों के निर्माण व बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा उपलब्ध कराई गयी व्यापार खाता के अनुसार लाभ को शामिल करते हुए अपनी बिक्री कम दर्शाते हुये कर कम अदा किया गया था। जो इस प्रकार है:-

प्रारम्भिक रहतिया- ₹ 36566115

प्रांतीय खरीद- ₹ 211176347
केंद्रीय खरीद- ₹ 153419647
लाभ ₹ 38425307
योग- ₹ 439587416
अंतिम रहतिया- ₹ 68544490
कुल बिक्री- ₹ 271430567
कम दर्शाई बिक्री- ₹ 99612359/-
कर की राशि- ₹ 99612359/-×5%= ₹ 4980618/=

इस प्रकार व्यापारी द्वारा कम प्रदर्शित बिक्री पर ₹ 4980618/- की कर देयता व इस राशि पर अप्रैल 2016 से अक्टुबर 2018 तक 15% वार्षिक की दर से ब्याज ₹1867732/-लिया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार व्यापारी पर ₹ 6848350/- (4980618+1867732) के कर की देयता बनती है

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि बेलेंस शीट में केवल कार्य मात्र के लिए किया मेटीरियल की खरीद ही दर्शाई गयी है जबकि वास्तव में कैपिटल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स की खरीद भी निर्माता द्वारा की जाती है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर निर्धारण आदेश में रॉ/पैकिंग मेटीरियल आयात किया जाना इंगित किया गया था। कंज्यूमेबल गुड्स भी निर्माण कार्य में प्रयोग करने के बाद ही लाभ इंगित किया गया है।

अत: कर का अनारोपण ₹ 68.48 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर- 1 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 15.73 लाख ।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10 (b) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्योहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मिथ्या जाहिर करेगा कि माल के ऐसे वर्ग उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो उक्त अधिनियम की धारा 10 (a) द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित की जाएगी जितनी उस कर के 1.5 गुने से अधिक न हो जो उस माल पर उसको किए गए विक्रय के बावत उस दशा में उद्ग्रहीत किया जाता यदि विक्रय उस उपधारा के अंतर्गत आने वाला विक्रय होता।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) प्रथम राज्य कर, विकासनगर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री, सदनाम पर्सनल प्रोडक्ट लि0 टिन-05006589526, द्वारा कर निर्धारण वर्ष- 2012-13 में 21 फॉर्म-सी निर्गत किए गए थे जिसमें 10 फार्म "सी" ऐसी वस्तुओं की खरीद के लिए निर्गत किए गए थे जो वस्तु व्यापारी के केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं पायी गयी। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	क्रय धनराशि	कर की दर	कर की राशि (₹)	अर्थदण्ड की धनराशि (₹)
1.	व्हाइट पेट्रोलियम जैली	29795	13.5%	4022	6033
2.	टिन	14787956	5%	739398	1109097
3.	Air compressor	446034	13.5%	60215	90322
4.	सोप नूडल्स	1815377	13.5%	245076	367614
	योग	1,70,79,162		1048711	15,73,066/-

अतः उपरोक्त धारा के अंतर्गत ₹1,70,79,162/- की अनाधिकृत खरीद पर देय कर ₹1048711/- का 1.5 गुना ₹15,73,066/- अर्थदण्ड आरोपणीय था जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया था।

विभाग के सज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा कहा गया कि आडिट आपत्ति में यह नहीं अवगत कराया गया है कि 10 फार्म "सी" में ₹ 17079162/- के कौन से प्रपत्र 'सी' है, एवं क्रमांक एवं वस्तु पृथक पृथक क्या है एवं कौन सी वस्तुओं से संबन्धित है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा निर्गत फार्म "सी" की सूची में फार्म संख्या व वस्तुओं का नाम स्पष्ट उल्लिखित हैं जो व्यापारी के केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है।

अत: अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 15.73 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर:2 - कर का न्यूनारोपण ₹3.33 करोड़।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 4 (ख) के अनुसार किसी कराधेय माल का अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय पर यथाउपबन्धित दरों पर कर का भुगतान करेगा। अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2(ख)(I)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल की बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपित किया जायेगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) - प्रथम राज्य कर, विकासनगर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री जी० एस०प्रोडक्ट्स लि0 टिन नं0 05008574922 कर निर्धारण वर्षः 2015-16 में उक्त व्यापारी का रेलवे पार्ट्स का निर्माण एवं बिक्री का व्यापार किया जाना बताया गया था। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2015-16 में ₹123808278/- की खरीद एवं ₹ 241117862/- की बिक्री किया जाना प्रदर्शित किया गया था। व्यापारी द्वारा प्रपत्र "सी" के सापेक्ष केंद्रीय बिक्री पर 1% एवं 2% की दर से कर अदा किया गया था। लेकिन विभाग द्वारा फार्म "सी" के बिना की गयी बिक्री को रेलवे पार्ट्स की बिक्री ₹237751437/- मानते हुये 5% की दर से ₹ 11887572/- कर आरोपित किया गया था। जबकि पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार व्यापारी मशीनरी पार्ट्स एव इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का निर्माता है इसलिए फार्म "सी" के बिना की गयी बिक्री ₹237751437/- पर अंतरीय कर 8.5% (13.5-5) की दर से ₹20208872/- की करदेयता है ।

(2) - सर्वश्री पराग इंडस्ट्रीज टिन नं0 05005662788 द्वारा कर निर्धारण 2015-16 में व्यापारी का रेलवे पार्ट्स का निर्माण एवं बिक्री का व्यापार किया जाना बताया गया था। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2015-16 में ₹ 93006988/- की खरीद एवं ₹156084595/- की बिक्री किया जाना प्रदर्शित किया गया था। व्यापारी द्वारा फार्म "सी" के बिना की गयी केन्द्रीय बिक्री को रेलवे पार्ट्स की बिक्री ₹154280995/- मानते हुये 5% की दर से ₹ 7714050/- कर आरोपित किया गया था। जबकि पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार व्यापारी मशीनरी पार्ट्स एव इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का निर्माता है इसलिए व्यापारी द्वारा की गयी मशीनरी पार्ट्स एव इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की समस्त केंद्रीय बिक्री ₹154280995/- पर अंतरीय कर 8.5%(13.5-5) की दर से ₹ 13113885/- की कर देयता है।

इस प्रकार उक्त दो व्यापारियों पर ₹ 3,33,22,757/ (13113885+ 20208872) देयता पर जमा करने की दिनांक तक 15% वार्षिक की दर से ब्याज भी जमा कराया जाना अपेक्षित है

विभाग के सज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत विव्ररणी,संग्लग्नक 3 (A) एवं गोपनीय पत्रावली में उपलब्ध ब्यान से स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा रेलवे पार्ट्स का निर्माण व विक्री किया जाता है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यापारी सर्वश्री जी० एस० प्रोडक्ट्स लि0 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में रेलवे पार्ट्स के निर्माण हेतु आवेदन न करके Manufacturing of PU Moulded Products, Oil Filters,Cured Filter Media & other Engineering Products आवेदन किया गया था।

सर्वश्री पराग इंडस्ट्रीज द्वारा भी रेलवे पार्ट्स के निर्माण हेतु आवेदन नहीं किया गया था। कार्यालय महा प्रबन्धक के पत्रांक 346 दिनांक 20-04-2005 से स्पष्ट है कि व्यापारी पी.यू. साइड बियरर, इलेस्टोमैरिक पैड्स, बफर स्प्रिंग्स, साइड बियरर पैड्स व रबड़ पैड्स का निर्माता है।

अत: कर का न्यूनारोपण ₹ 3.33 करोड़ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-2- अर्थदंड का अनारोपण ₹ 1.04लाख|

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 (1)(VII)के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर युक्तियुक्त कारण के बिनाअनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशतअर्थदण्डआरोपणीय होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) प्रथम वाणिज्य कर, विकासनगर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री नाटको फार्मा लि0 सेलाकुई द्वारा अपना स्वीकृत कर ₹1043464/- बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था। जिस पर नियमानुसार कम से कम 10 प्रतिशत की दर से ₹104346/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया।

क्रम सं.	व्यापारी का नाम	क.नि. वर्ष	धनराशि(₹)	निर्धारित तिथि	जमा करने की तिथि	विलम्ब शुल्क अर्थदण्ड (₹)
1	सर्वश्री नाटको फार्मा लि0 सेलाकुई	2013-14	136830(अप्रैल)	25.05.13	03.06.13	13683/-
			76600(जून)	25.07..13	05.09.13	7660/-
			115439(जुलाई)	25.08.13	05.09.13	11544/-
			177540(अगस्त)	25.09.13	05.10.13	17754/-
			106405(सितम्बर)	25.10.13	30.11.13	10640/-
			122715(अक्टूबर)	25.11.13	30.11.13	12271/-
			39640(दिसम्बर))	25.01.14	28.01.14	3964/-
			20542(जनवरी)	25.02.14	07.03.14	2054/-
			34757(फ़रवरी)	2503.14	24.04.14	3476/-
			212996(मार्च)	25.04.14	28.04.14	21300/-
					कुलयोग	**₹ 104346/-**

उक्त के सम्बन्ध में विभाग को अवगत कराने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग 2 (ब)

प्रस्तर: 3- कर का अनारोपण ₹ 0.92 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) - प्रथम, राज्य कर, विकासनगर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री यूनी एजेन्सी कैमिकल प्रा0 लि0 टिन नं0 05002247030 दवाइयों की खरीद-बिक्री के लिए पंजीकृत है।व्यापारी द्वारा वर्ष 2015-16 में ₹192225463/- की खरीद एवं 189883913/- बिक्री किया जाना प्रदर्शित किया गया था। व्यापारी द्वारा लाभ को शून्य मानकर भी अपनी बिक्री कम दर्शाते हुये कर कम अदा किया गया था, जो इस प्रकार है:-

प्रारम्भिक रहतिया-	₹ 4776252/-
प्रांतीय खरीद-	₹ 192225463/-
लाभ	शून्य
योग-	₹ 197001715/-
अंतिम रहतिया-	₹ 5774498/-
लाभ रहित कुल बिक्री-	₹ 189883913/-
कम दर्शाई बिक्री-	₹ 1343304/-
कर की राशि-	₹ 1343304/-×5%= ₹ 67165/-

इस प्रकार व्यापारी द्वारा कम प्रदर्शित बिक्री ₹1343304/- पर 5% कर की दर से ₹ 67165/- एवं इस राशि पर अप्रैल 2016 से अक्टुबर 2018 तक 15% वार्षिक की दर से ₹ 25186/- ब्याज भी लिया जाना अपेक्षित है।

विभाग के सज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: बिक्री कम प्रदर्शित करने के कारण ₹ 92351/-(67165 + 25186) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-88/2017-18	01	01,02,03,04	-

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (प्रथम) (क.नि.) राज्य कर, विकासनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री रजनीश यशवस्थी	उपायुक्त
2	श्री रोहित श्रीवास्तव	उपायुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (प्रथम) (क.नि.) राज्य कर, विकासनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र